आदेश की तिथिः–03.07.2026
उपस्थितः–दीपक कुमार यादव,
अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
हिलसा, नालंदा।

न्यायालयः–अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, हिलसा, नालंदा।
सत्र विचारण संख्या 776/2025
रजि. संख्या 239/25
थरथरी थाना कांड संख्या 50/19

बिहार राज्य मार्फत् सूचक संजय कुमार,

. . . . . .अभियोजन पक्ष,

बनाम

1. उमेश लाल, पिता लखन लाल, उम्र 65 वर्ष,
साकिन बड़ी छरियारी, थाना थरथरी, जिला नालंदा . . . . . अभियुक्त।

बचाव पक्ष के तरफ सेः– श्री सतीश कुमार, विद्वान अधिवक्ता,
बिहार राज्य के ओर सेः–श्री बृजनंदन प्रसाद, विद्वान अपर लोक अभियोजक,

आदेश की तिथिः–03.07.2026
उपस्थितः–दीपक कुमार यादव,
अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
हिलसा, नालंदा।

आदेश

1. पुकार पर अभिलेख प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त की ओर से हाजिरी है। अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा पूर्व में दाखिल आवेदन अंतर्गत धारा 227 द0प्र0स0, दिनांक 27.01.2026 एवं अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक प्रतिउत्तर पर दोनों पक्षों को सुना।

2. आवेदक/अभियुक्त उमेश लाल की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि आवेदक के विरूद्ध कांड दैनिकी पर आरोप गठन हेतु एवं अग्रतर विचारण प्रारंभ करने हेतु कोई भी पर्याप्त सामाग्री व साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह कांड लड़की भगाकर ले जाने से संबंधित है तथा भगाकर ले जाने वाले मुख्य आरोपित अभियुक्त अभिषेक कुमार को अनुसंधान पदाधिकारी द्वारा निर्दोष पाते हुये आरोप पत्र समर्पित किया गया था, जबकि आवेदक उमेश लाल उक्त अभिषेक कुमार का वृद्ध पिता है जिसे दुर्भावनावश इस वाद में अनुसंधान पदाधिकारी द्वारा धारा 366 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोपपत्रित किया गया तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा धारा 366 भा0द0वि0 में संज्ञान भी ले लिया गया जबकि आवेदक के विरूद्ध कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर

आदेश की तिथि:–03.07.2026
उपस्थितः–दीपक कुमार यादव,
अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
हिलसा, नालंदा।

उपलब्ध नहीं है। अंततः विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक को आरोप से उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना करते है।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्कों का घोर विरोध करते हुये आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप गठन करने की प्रार्थना की गयी।

3. दोनों पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उपरोक्त थरथरी थाना कांड संख्या 50/19, सूचक संजय कुमार के शिकायत पत्र के आधार पर दर्ज की गयी है। सूचक के कथनानुसार उसकी भगिनी, जो मां–बाप के गुजर जाने के कारण सूचक के साथ ही रहती थी। अचानक दिनांक 05.04.2019 को घर से निकल गयी। काफी खोजबीन पर भी नहीं मिली। बाद में गांव के रामानंद पासवान के द्वारा पता चला कि उसकी भगिनी को अभिषेक कुमार, पिता–उमेश लाल, उमेश लाल, पिता–लखन लाल, उमेश लाल की बेटी तथा बिक्की कुमार, पिता–उमेश लाल के द्वारा ले जाते देखा गया है। उपरोक्त शिकायत के आधार पर नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 366 (ए)/34 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में पीड़िता बालिग पायी गयी तथा अनुसंधानोपरांत उपरोक्त कांड में प्राथमिकी अभियुक्त अभिषेक कुमार, बिक्की कुमार, पुष्पा देवी, तीनों पिता–उमेश लाल को अनुत्प्रेषित दिखाते हुये सिर्फ एकमात्र अभियुक्त उमेश लाल के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 89/20, दिनांक 30.07.2020 अंतर्गत धारा 366 भा0द0वि0 में समर्पित किया गया जिसमें संज्ञानोपरांत यह वाद दौरा सुपुर्द होकर आरोप गठन हेतु लंबित है।

4. अभिलेख का अवलोकन किया। कांड दैनिकी के पैरा 02 में वादी का पुनः बयान, फिर पैरा 07 में साक्षी कुसुम देवी का बयान एवं पैरा 08 में साक्षी आकाश पंडित के बयान का अवलोकन किया। उपरोक्त सभी साक्षी घटना के अनुश्रुत साक्षी है। यद्यपि की कांड दैनिकी के पैरा 03 के साक्षी रामानंद पासवान राव के द्वारा पीड़िता को अभियुक्तगण के साथ बाजार में घूमते हुये देखे जाने की बात बतायी गयी परंतु उसके द्वारा अपहरण की कोई चर्चा नहीं की गयी है। कांड दैनिकी के पैरा 39 के अवलोकन से विदित होता है कि पीड़िता की जन्म तिथि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के अंकपत्र में 07.04.1999 में अंकित है तथा घटना कथित रूप से 05.04.2019 की है जिसके अनुसार घटना के समय पीड़िता की उम्र 20 वर्ष के लगभग थी। अभिलेख के साथ संलग्न पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 164 द0प्र0स0 में भी विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा पीड़िता की उम्र 21 वर्ष आंकलित की गयी है एवं स्वयं पीड़िता द्वारा अपनी उम्र 20 वर्ष कथित है। अपने बयान के अंतर्गत पीड़िता द्वारा यह कथन किया गया है कि वह पिछले पांच साल से अभिषेक कुमार से प्यार करती थी। वह दोनों दिनांक 21.07.2018 को हिलसा कोर्ट में शादी भी कर लिये है तब से वह अपने दादी के घर लहकारपुर में रह रही तथा दिनांक 05.04.2019 से वह अभिषेक के

आदेश की तिथिः–03.07.2026
उपस्थितः–दीपक कुमार यादव,
अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
हिलसा, नालंदा।

साथ सीतामढ़ी में रह रही है। उसने अपनी इच्छा से शादी की है और उसका किसी ने अपहरण नहीं किया है। पीड़िता के बालिक होने के कारण उसे उसकी स्वेच्छा पर उसकी सास सुजा देवी के जिम्मे सुपुर्द किया गया था तथा वर्तमान में भी वह अपने ससुराल में रह रही है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 366 भा0द0वि0 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है जो किसी स्त्री के अपहरण, व्यपहरण या उसे विवाह के लिये बाध्य करने हेतु प्रलोभन देने से संबंधित है परंतु कांड दैनिकी एवं अभिलेख पर ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे अभियुक्त के विरूद्ध आगे कार्यवाही प्रारंभ की जाये।

अतः दोनों पक्षों को सुनने तथा अभिलेख का समग्र अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आवेदक/अभियुक्त उमेश लाल के विरूद्ध अग्रतर कार्यवाही करने के लिये कोई पर्याप्त आधार नहीं है। अतः आवेदक को उसके विरूद्ध लगाये गये आरोपों से उन्मोचित किया जाता है। आवेदक पूर्व से जमानत पर है। आवेदक को जमानत के शर्तों से भी उन्मोचित किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

Deepak Ku Yadav

(दीपक कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा, नालन्दा
दि0 03.07.2026